# न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

राजस्व अपील संख्या : 12/12/2026 GCMS No. 2026/50

दर्ज दिनांक : 09-04-2026

निर्णय दिनांक : 13-5-2026

**जयलाल** पुत्र छीतर, जाति जाट, उम्र लगभग 78 वर्ष, निवासी ग्राम बधाना, तहसील कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

—अपीलार्थी—

बनाम

**राजस्थान सरकार** जरिये नायब तहसीलदार, कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

—प्रत्यर्थी—

**अपील** अंतर्गत : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75

**अपील** विरुद्ध आदेश दिनांक : **15.01.2026**

**मूल** प्रकरण संख्या : **02/25**

**मूल** प्रकरण : **राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का बधाना बनाम जयलाल**

**विषय** : धारा 91 **राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956** के अंतर्गत अतिक्रमण संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील

---

## निर्णय

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह राजस्व अपील नायब तहसीलदार, कोटकासिम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.01.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बधाना स्थित राजकीय भूमि, आराजी खसरा संख्या 2095/1268, किस्म गैरमुमकिन नदी, रकबा 0.54 हैक्टेयर पर अतिक्रमणकारी मानते हुए धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्यवाही कर शास्ति तथा खड़ी फसल जप्त/नीलामी संबंधी आदेश पारित किया गया।

मूल आदेश का आधार पटवारी हल्का बधाना की रिपोर्ट रही, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर खेती की जा रही है तथा उक्त भूमि पर फसल खड़ी पाई गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि विवादित भूमि राजकीय गैरमुमकिन नदी है और उस पर अपीलार्थी का कब्जा/कृषि कार्य अवैध है।

अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि विवादित भूमि वास्तव में उसकी/उसके परिवार की दादलाई, खरीदशुदा अथवा खातेदारी प्रकृति की भूमि से संबंधित है; पुराना खसरा नंबर अलग रहा है; भूमि नदी नहीं है; तथा पटवारी रिपोर्ट गलत, अपूर्ण और बिना मौके की समुचित जांच के तैयार की गई है। अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसके दस्तावेजों का समुचित appreciation नहीं किया तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना आदेश पारित कर दिया।

मैंने अपील पत्र, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश तथा उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया। अभिलेख से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय भूमि/गैरमुमकिन नदी के रूप में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी अभिलेखीय स्थिति तथा पटवारी रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 की कार्यवाही की। अपीलार्थी द्वारा अपने अधिकार के समर्थन में जो प्रतिवाद लिया गया है, वह मूलतः शीर्षक, पुराने खसरा नंबर, दादलाई/खातेदारी दावे तथा रिकॉर्ड की कथित त्रुटि पर आधारित है। किन्तु इस अपील में ऐसा कोई सक्षम आदेश, घोषणा, डिक्री या

स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान प्रविष्टि अप्रभावी हो चुकी है या अपीलार्थी का अधिकार किसी सक्षम मंच द्वारा विधिवत घोषित किया जा चुका है।

मात्र यह कहना कि भूमि वास्तव में नदी नहीं है, या पुराने रिकॉर्ड अलग हैं, अपने आप में पर्याप्त नहीं है, जब तक उस दावे का समर्थन किसी सक्षम न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी के बाध्यकारी आदेश से न हो। यदि अपीलार्थी का यह कथन है कि भूमि की प्रकृति, खसरा संख्या अथवा प्रविष्टियाँ गलत हैं, तो उसके लिए उपयुक्त मंच पर पृथक कार्यवाही करना उसका अधिकार है; परंतु जब तक उसके पक्ष में कोई प्रभावी घोषणा अथवा स्थगन आदेश उपलब्ध नहीं है, तब तक राजकीय भूमि संबंधी धारा 91 की कार्यवाही को मात्र दावे के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता।

अपीलार्थी ने यह भी आपत्ति की है कि पटवारी मौके पर नहीं गया और रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों में राजस्व रिकॉर्ड तथा पटवारी प्रतिवेदन दोनों थे, और अपीलार्थी ऐसा कोई ठोस, निर्णायक एवं प्रवर्तनीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे तत्काल यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि विवादित भूमि राजकीय नहीं है या उस पर उसका वैध अधिकार अभिलेखीय रूप से स्थापित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध सामग्री के आधार पर पारित आदेश को प्रथमदृष्टया अभिलेख-विरुद्ध या अधिकारिता से परे नहीं कहा जा सकता।

अपीलीय अधिकारिता में हस्तक्षेप तभी उचित है जब अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पष्टतः विधि-विरुद्ध, अभिलेख-विरुद्ध या गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटि से युक्त हो। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के दावे अभी तक किसी सक्षम मंच द्वारा घोषित नहीं हुए हैं और न ही उसके पक्ष में कोई स्थगन आदेश उपलब्ध है। इस स्थिति में केवल विवादित दावे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः समस्त अभिलेखीय सामग्री, अपील के आधारों तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर विचार करने के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपील निराधार है और इसमें हस्तक्षेप का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता।

---

## आदेश

1. अपीलार्थी **जयलाल पुत्र छीतर, जाति जाट, निवासी ग्राम बधाना, तहसील कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा** द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील **खारिज** की जाती है।
2. नायब तहसीलदार, कोटकासिम द्वारा मूल प्रकरण संख्या **02/25** में पारित आदेश दिनांक **15.01.2026 यथावत् कायम** रखा जाता है।
3. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपीलार्थी भविष्य में किसी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी से अपने पक्ष में अधिकार घोषणा अथवा स्थगन आदेश प्राप्त करता है, तो वह विधि अनुसार उचित कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेगा।
4. इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित नायब तहसीलदार, कोटकासिम को आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।
5. पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल की जाए।

**आदेश आज दिनांक** 13/5/2026 **को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(अतुल प्रकाश)
**जिला कलेक्टर**
**खैरथल-तिजारा (राजस्थान)**